बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02 / शमन–03 / 2016, परि० पटना, दिनांक–

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2932, दिनांक–10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तो के साथ किये गये अनुशंसा एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक–1552 / 418592, एक्स0 एल0 दिनांक–29.03..2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 27.04.2019 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के तहत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की शक्ति उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र०सं०	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र
3.	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र
4.	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5.	ओ0पी0 प्रभारी	सम्पूर्ण ओ0पी0 क्षेत्र

2. मनी रसीद / सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक–546, दिनांक–01.02.2016 प्रभावी होगा।

3. सभी जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत् जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद / सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए एवं शमन से प्राप्त राशि को ब्यौरावार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद / सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद / सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत / अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्राधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. शक्ति प्रदत पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमे वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदित भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

10. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक–2932, दिनांक–10.04.2017 द्वार निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–03/2016 परि० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन–03/2016 परि० 2907 पटना, दिनांक– 26/5/17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रर्वत्तन तंत्र के पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/17
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02/शमन–03/2016, परि० पटना, दिनांक–

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2932, दिनांक–10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक–1552/418592, एक्स0 एल0 दिनांक–29.03..2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 27.04.2019 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के तहत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की शक्ति उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्र०सं०	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र
3.	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र
4.	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5.	ओ0पी0 प्रभारी	सम्पूर्ण ओ0पी0 क्षेत्र

2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक–546, दिनांक–01.02.2016 प्रभावी होगा।

3. सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत् जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए एवं शमन से प्राप्त राशि को ब्यौरावार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदो की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्राधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. शक्ति प्रदत पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमे वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदित भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

10. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक--2932, दिनाक-- 10.04.2017 द्वार निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/शमन--03/2016 परि० 2907 पटना, दिनांक– 26/4/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/4/19
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx